4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं।
6. पर्याप्त हैतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पत्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

हस्ताक्षर लिपिक

6-9-19 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 01-10-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1-10-19 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप.। प्रतिवादी न. [illegible] की तामील नहीं हुयी है। पुन: तलबाना पेश करने पर जारी हो व प्रतिवादी न. 1 बावजूद सूचना के अनु. रहने से प्रकरण विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है व प्रतिवादी न. 3,4,5 की ओर से वकील श्री गजेन्द्र नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

30-10-19 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। प्रतिवादी न. 2 की तामील नहीं हुयी है। पुन: तलबाना पेश करने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब दिनांक 26-11-19 को पेश हो।

26-11-19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। प्रतिवादी नं. 2 की तामील नहीं हुई। पुन: तलबाना पेश करने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब दिनांक 4-12-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

4/12/19 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप.। वकील वादी के पक्ष में फाइनल डिक्री जारी हो चुकी है। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तामील तकमील हो [illegible] हो।